



बीरसिंह आ० मेघूराम यादव उम्र 16 साल  
साकिन राजीव नगर दुर्गा टिम्बर के पीछे थाना सुपेला  
(लट धारा 392 भादवि)



जोहन उर्फ किरू आ० तुलसी राम गोड़ उम्र 20 साल  
साकिन राजीव नगर दुर्गा टिम्बर के पीछे थाना सुपेला  
(लूट धारा 392 भादवि)



रेवा साहू आ० पोखन साहू उम्र 20 साल  
राजीव नगर दुर्गा टिम्बर के पीछे थाना सुपेला

लूट के तीन आरोपी गिरफ्त में

एटीएम , पर्स , ड्राइविंग लाइसेंस नगद बरामद

क्राइम ब्रांच की कार्यवाही

दिनांक 8/1/2011 को दोपहर 4:00 बजे जेपी चौक अण्डर ब्रीज के पास प्रार्थी एचडीएफसी बैंक कर्मी देवेन्द्र कुमार कोहले आ० कृष्ण कोहले निवासी एचएसीएल कालोनी सेक्टर 6 भिलाई बैंक से अपने घर जाते समय मोटर सायकल रोककर लधुशंका के लिए रूका था। तीन आरोपी प्रार्थी को घमकाकर नगद 3000/- रू० एटीएम कार्ड लूट लिए और प्रार्थी की मोटर सायकल की चांबी लेकर फरार हो गए प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रं. 29/2011 धारा 392 भादवि कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। दिन दहाड़े लूट की गंभीर वरदात की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार(भा०पु०से०) ने क्राइम ब्रांच को निर्देशित किया था क्राइम ब्रांच प्रभारी निरीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की टीम सुरागरसी में जुटी और लूट की वरदात करने वाले आरोपी क्रमशः-1. रेवा आ० पोखन साहू उम्र 20 साल 2. बीर सिंग यादव आ० मेघू राम उम्र 16 साल 3. जोहन उर्फ किरू गोड़ आ० तुलसीराम गोड़ उम्र 20 साल सभी निवासी राजीव नगर सुपेला को घरदबोचा पुछताछ करने पर आरोपियों ने घटना स्वीकार किये , आरोपियों के निशादेही पर मशरूका नगद 1500/- रू० , मोटर सायकल सीजी 07 एलजे 8275 की चांबी , एटीएम कार्ड , पर्स , ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया गया है। इन आरोपियों से लूट के अन्य मामलों में पुछताछ जारी है। आरोपियों को पकड़ने में क्राइम ब्रांच के सउनि प्रमोद रूसिया , प्र०आर० चन्द्रशेखर सोनी , अशोक साहू , सुरेश बनाफर , भानूशंकर , आर० दिनेश सिंह , भरत यादव , शवाबुद्दीन की भूमिका सराहनीय रही।